कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः एम0ई0–3 / 2026 / लखनऊःदिनांक 14 फरवरी, 2026

अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत नीट एम0डी0एस0 2022 बैच के अभ्यर्थियों को सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर सेवायोजित किये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

- शासनादेश संख्या–950 / 71–2–82 / 2017 दिनांक 07 मार्च 2018 यथासंशोधित शासनादेश संख्या– I / 864501 / 2025 दिनांक 29.01.2025 में निहित निर्देशों के कम में नीट एम0डी0एस0 2022 बैच की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनकी ऑल इण्डिया रैंक के आधार पर ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर सेवायोजित किये जाने की कार्यवाही यथाशीघ्र किया जाना प्रस्तावित है।
- **काउंसिलिंग हेतु समय–सारिणी पृथक से वेबसाईट www.dgme.up.gov.in एवं www.dgmeonlineposting.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित की जायेगी।**
- **नीट एम0डी0एस0 2022 बैच के समस्त अर्ह अभ्यर्थियों (पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को छोड़कर) को उक्त काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा।**
- सीटों का आवंटन रिक्त सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थी की ऑल इंडिया पी0जी0 रैंक, श्रेणी, विकल्प के आधार पर ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
- ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को वेबसाईट **www.dgmeonlineposting.upsdc.gov.in** पर log-in करते हुए अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि पंजीकरण के समय प्रदर्शित ऑल इण्डिया रैंक में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, तो अभ्यर्थी पंजीकरण की निर्धारित अवधि में ही व्यक्तिगत रूप से महानिदेशालय में उपस्थित होकर सुसंगत अभिलेखों सहित सूचित करेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।
- आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर जारी आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- **अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C.) का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड की काउंसिलिंग प्रारम्भ होने की तिथि से 06 माह की अवधि के पूर्व के मान्य नही होगें।**
- **अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड हेतु आयोजित की जाने वाली काउंसिलिंग में सीनियर रेजीडेण्ट के ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के रिक्त पदों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित करते हुए आवंटन की कार्यवाही की जायेगी तथा किसी भी अभ्यर्थी को ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।**
- आरक्षण का लाभ लेने हेतु आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र पंजीकरण के समय अपलोड करना अनिवार्य है।
- **ऑनलाईन सत्यापन के समय आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र सुसंगत न पाये जाने अथवा निर्धारित प्रारूप पर न होने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत सीट आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।**

➢ ऑनलाईन काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की च्वाईस फिलिंग निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात Auto Lock कर दी जायेगी।

➢ ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में फेलोशिप / पी0डी0सी0सी0 अथवा अन्य समकक्ष पाठ्यक्रमों में इस कार्यालय से अनापत्ति प्राप्त कर, अध्ययनरत हैं, इस काउंसिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।

➢ काउंसिलिंग के समय अथवा काउंसिलिंग के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा भ्रामक / कूटरचित अभिलेखों के आधार पर आवंटन प्राप्त कर लिया गया है, तो उसका आवंटन निरस्त करते हुए उसके विरूद्व भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं के अन्तर्गत विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

➢ आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में आरक्षित श्रेणी की यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है, तो रिक्त सीटों को निम्नांकित तालिका के अनुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी:–

CONVERSION ALGORITHM

S.No.	Conversion Category	Category converted to
1	ST	SC
2	SC	UR
3	OBC	UR

➢ Merger के लिए उपलब्ध सीटों को Virtual Vacancy के रूप में प्रदर्शित किया जायेगा।

➢ अन्य अद्यतन सूचनाओं हेतु विभागीय वेबसाइट www.dgme.up.gov.in तथा www.dgmeonlineposting.upsdc.gov.in पर निरन्तर अवलोकन करते रहें।

कृते महानिदेशक।

संख्याः एम0ई0–3 / 2026 / 338 तद्दिनांक /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–चार।
2. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 / यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई / निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई लखनऊ / डा0 मनोहर लोहिया, लखनऊ / मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, आगरा / राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा / पी0जी0आई0सी0एच0, नोएडा / सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ / होमी भाभा कैंसर हास्पिटल, वाराणसी / प्रधानाचार्य समस्त राजकीय / स्वशासी मेडिकल कालेज, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को नोटिस बोर्ड एवं कालेज की बेवसाईट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करे।
3. शिविर सहायक, महानिदेशक कैम्प, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उ0प्र0।

कृते महानिदेशक।